(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 3/2019-प्रतिपूर्ति उपकर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

सा.का.नि........ (अ.)- माल एवं सेवाकर (राज्यों की प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उप धारा (2) के साथ पठित केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उप धारा (3) के परन्तुक के उपवाक्य (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, उन वस्तुओं को अधिसूचित करती है जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिया गया है और जो उक्त सारणी के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, शीर्षक, उप शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत आती हैं और जिनके बारे में प्रतिपूर्ति उपकर के गैर प्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रैडिट को वापस करने की अनुमति नहीं होगी और जहां कि इनपुट के प्रतिपूर्ति उपकर की दर के ऐसी वस्तुओं के आउटपुट आपूर्ति (शून्य दर वाली या पूर्ण छूट प्राप्त आपूर्तियों से भिन्न) पर लगने वाले प्रतिपूर्ति उपकर की दर से अधिक होने के कारण ऐसी क्रैडिट का संचय हो गया हो ।

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद, शीर्षक, उप शीर्षक या अध्याय	वस्तु का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	24	तंबाकू और तंबाकू के विनिर्मित अनुकल्प

स्पष्टीकरण -

(1) इस सारणी में, "टैरिफ मद", "उप शीर्षक", "शीर्षक" और अध्याय का वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय का दिया गया है ।

(2) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची, जिनमें प्रथम अनुसूची के खंड और अध्याय नोट और सामान्य स्पष्टीकरण नोट भी आते हैं, की व्याख्या से संबंधित नियम इस अधिसूचना की व्याख्या में भी लागू होंगे ।

(फाइल संख्या 354/131/2019-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार